राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांक : प.11(13)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/उद्योग/2025/ 9321 दिनांक : 25/07/2025

कार्यालय–आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 04.08.2025 से 12.08.2025 की अवधि में आयोजित की जा रही उद्योग विभाग के राज्य सेवा अधिकारियों की विभागीय परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
01	आर्ची जैन	कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्यि उप केन्द्र, ब्यावर (राज.)–305901
02	देवयानी डोडिया	कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्यि केन्द्र, उदयपुर (राज.)–313003
03	हिमांशु जोशी	A-316, विद्युत नगर, अजमेर रोड़, जयपुर (राज.)–302021
04	प्रमोद कुमार मीना	कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्यि केन्द्र, कोटा (राज.)–324004

परीक्षा कार्यक्रम			
दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
04.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पहला	Organisation and Functions of the Industries Department
05.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	दूसरा	Promotional Agencies, Control and Restrictions
06.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	Control Commodity its procurement, Distribution and Technical Education
07.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	चौथा	Industrial Survey Industrial Estate and Incentives to Small Scale
08.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पांचवा	General
11.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	छठा	Finance Accounts and Service Rules
12.08.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	सातवां	Hindi

परीक्षा केन्द्र/स्थल : संवाद/एन. 217, नेहरू भवन एच.सी.एम. रीपा, जयपुर

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा–कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
2. परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नही होगी।
3. Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा–कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
4. व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
6. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नही है।
7. परीक्षा–कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
8. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।

11 परीक्षा–कक्ष छोडने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।

12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : प.11(13)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/उद्योग/2025/9322-34 दिनांक :25/07/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर भी अवगत कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड–II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. उप निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा–कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
5. प्रभारी अधिकारी (T&P), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (परिसर–नेहरू भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया परीक्षा अवधि में परीक्षा–कक्ष की साफ–सफाई, बैठने की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित कार्मिक को निर्देशित कराने का श्रम करें।
7. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित परीक्षार्थी सर्वश्री.. (रोल नं. 01 से 04 तक)।
9. नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन)।
10. रक्षित पत्रावली।

एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

Phone: 0141-2706556, 2715222 ❑ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in ❑ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in